

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-41-2017-1-पांच (123).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41-2017-1-पांच (47), दिनांक 30 जून, 2017, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 300, दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41-2017-1-पांच (47), दिनांक 30 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-41-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41-2017-1-पांच (123), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2017

No. F A 3-41-2017-1-V(123).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F A 3-41-2017-1-V(47), dated the 30th June, 2017, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), No. 300, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No. F-A-3-41-2017-1-V(47), dated the 30th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.